पत्रांक-जी0एस0टी0/2022-23/फाइल सं0-118/ 546 /राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 ।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक- 30 दिसम्बर, 2022

कार्यालय आदेश

विषयः-कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 का संशोधन।

पूर्व में वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 के प्रस्तर 2 की तालिका की प्रविष्टि संख्या 5 के माध्यम से टैक्स ऑडिट इकाईयों में कार्यरत संयुक्त आयुक्त, उप-आयुक्त एवं सहायक आयुक्त को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 65 एवं 66 के प्रयोजनों हेतु Proper Officer नामित किया गया है।

2. कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 को कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2017-18/07/राज्य कर, दिनांक- 03अप्रैल, 2018, कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2019-20/172/राज्य कर, दिनांक- 27 मई, 2019 तथा कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2020-21/फाइल सं0-118/169/राज्य कर, दिनांक- 04 अगस्त, 2020 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 70 में Proper Officer को जॉच के समय साक्ष्य हेतु, कोई अभिलेख अथवा कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति को Summon जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी है। टैक्स ऑडिट इकाई में कार्यरत अधिकारियों को जॉच के समय कतिपय अभिलेखों या किसी अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने अथवा गवाही हेतु उपस्थित होने के लिए संबंधित व्यापारी अथवा किसी तृतीय व्यक्ति (Third Party) को बुलाये जाने के लिए Summon जारी करने की आवश्यकता पड़ती है।

4. उपरोक्त कार्यगत आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 के प्रस्तर 2 की तालिका की प्रविष्टि संख्या 5 के समक्ष स्तम्भ 3 में अंकित प्रविष्टियां निम्नवत संशोधित की जाती हैं-

क्रसं0	अधिकारी का नाम	उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा
1	2	3
5	1. जोन में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) 2. जोन में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त (टैक्स ऑडिट) 3. जोन में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त (टैक्स ऑडिट)	65, 66, 70

4.1. उपरोक्त संशोधन मूल आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 की प्रभावी तिथि अर्थात 1, जुलाई 2017 की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

23/12/22

(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0/ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2 उच्च न्यायालय कार्य0 राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
5. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/ (वि0अनु0शा0)/ (टैक्स ऑडिट), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त आयुक्त (उच्चतम न्यायालय कार्य0)/ (उच्च न्यायालय कार्य0), राज्य कर, गाजियाबाद/लख्नऊ/प्रयागराज।
10. मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी, राज्य कर, मुख्यालय।

(गीता सिंह)

अपर आयुक्त (जी0एस0टी0),

राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः जी.एस.टी./2019–20/ 172 /वाणिज्य कर

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी.एस.टी. अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2019

–: कार्यालय आदेश :–

इस कार्यालय के आदेश सं0–278/जी.एस.टी./2017–18/फाइल नं0–118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्य हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किये गये थे। फील्ड स्तर से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि वि0अनु0शा0 व सचल दल इकाईयों में ऐसे व्यापारियों से भी टैक्स व पेनाल्टी के रूप में धनराशि जमा करायी जाती है, जो प्रान्त में पंजीकृत नहीं हैं तथा इस प्रकार की जमा धनराशि के सक्षम न्यायालय में वापसी के आदेश होने पर उनके रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अतः ऐसे मामलों में जिनमें व्यापारी के प्रान्त में पंजीयन न होने के कारण टेम्पोरेरी आई.डी. (TRN) क्रिएट करते हुए टैक्स व पेनाल्टी अथवा अन्य कोई धनराशि जमा करायी गयी है, उस धनराशि को सक्षम न्यायालय स्तर से वापसी के आदेश प्राप्त होने की स्थिति में ऐसे व्यापारियों के रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित किये जाने हेतु वि0अनु0शा0 व सचल दल इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों को धारा–54 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रॉपर ऑफिसर (Proper Officer) नामित किया जाना आवश्यक है।

अतः वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी तथा सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा–54 के प्रयोजनार्थ उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया जाता है एवं आदेश सं0– 278/जी.एस.टी./2017–18/फाइल नं0–118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के पेज सं0–2 पर अंकित तालिका के प्रविष्टि क्रमांक– 4 एवं 7 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है–

क0सं0	अधिकारी का पदनाम	उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा
1.	2.	3.
4.	1. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	54, 67(11), 68, 70, 126, 127, 129, 130
7.	1. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	54, 67(11), 68, 70, 126, 129, 130

यह अधिकारी उक्त धारा के अन्तर्गत केवल उन मामलों में जिनमें उनकी इकाई द्वारा प्रान्त में अपंजीकृत व्यापारियों की टेम्पोरेरी आई.डी. (TRN) सृजित करते हुए धनराशि जमा करायी गयी है, कार्यवाही हेतु सक्षम होगें। प्रान्त में पंजीकृत व्यापारियों के सम्बन्ध में धारा–54 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ववत् खण्ड/कॉर्पोरेट सर्किल में तैनात अधिकारियों द्वारा ही की जायेगी।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0:/ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, ग्रेड–1/ग्रेड–2, उच्च न्यायालय कार्य0, राज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
6. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर।
7. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तद्नुसार अपने अभिलेख में सम्मिलित करें एवं उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, राज्य कर/राज्य कर अधिकारी, राज्य कर की तैनाती अथवा प्रभार दिये जाने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार ही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(टैक्स ऑडिट) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10. संयुक्त आयुक्त, (उच्चतम न्यायालय कार्य0)/(उच्च न्यायालय कार्य0), राज्य कर, गाजियाबाद/लखनऊ/इलाहाबाद।
11. मुख्यालय के समस्त अनुभाग/अनुभाग प्रभारी।
12. मैनुअल अनुभाग को 5 प्रतियाँ।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी.एस.टी.)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– जी0एस0टी0 / 2017–18 / 07 / वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 03 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या–278 / जी0एस0टी0 / 2017–18 / फाइल नम्बर–118 राज्य कर दिनांक 01.07.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम–2017 की विभिन्न धाराओं में उल्लिखित कृत्य के संबंध में उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम–2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्–2017) की धारा–2(91) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के लिए स्तम्भ–2 में अंकित अधिकारियों को उनके सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित अधिनियम की धाराओं के प्रयोग हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित करती हूँ।

क्र0सं0	अधिकारी का पदनाम	उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा
1	2	3
1	वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त।	67, 68, 70, 71, 72
2	1. वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में तैनात राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर। 2. वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में तैनात राज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर। 3. वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में तैनात राज्य कर के वाणिज्य कर अधिकारी।	68, 70, 126, 127, 129, 130

स्तम्भ–2 में अंकित अधिकारी उनके सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित धाराओं के संबंध में उचित अधिकारी (Proper Officer) होंगे तथा उन्हें पूरे प्रदेश की अधिकारिता इस प्रतिबंध के अधीन प्राप्त होंगी कि वह कमिश्नर वाणिज्य कर अथवा मुख्यालय पर तैनात एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत किये जाने पर ही उनके द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जांच कार्य हेतु अधिकृत होंगे।

3/4/2018

(कामिनी चौहान रतन)
आयुक्त, वाणिज्य कर उ0प्र0

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, राज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन।

– विशेष सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

4– अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।

5– अपर आयुक्त, ग्रेड–1 / ग्रेड–2, उच्च न्यायालय कार्य, राज्य कर इलाहाबाद / लखनऊ।

6– मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त, राज्य कर।

7– संयुक्त आयुक्त(स्थापना) राज्य कर।

8– समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0) / (टैक्स ऑडिट) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

9– समस्त उप आयुक्त / सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

10– संयुक्त आयुक्त, -(उच्चतम न्यायालय कार्य) / (उच्च न्यायालय कार्य), राज्य कर, गाजियाबाद / लखनऊ / इलाहाबाद।

11– मुख्यालय के समस्त अनुभाग / अनुभाग प्रभारी।

12–मैनुअल अनुभाग को 5 प्रतियाँ।

(विवेक कुमार)
अपर आयुक्त(जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।